क्रमांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/1/26	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित है। प्रतिवादी संख्या-1 के अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि वादग्रस्त आराजियात में अपने सम्पूर्ण हिस्से का वादिया मोहनी पुत्री भंवरलाल द्वारा बेचान कर दिया गया है। प्रकरण में वादग्रस्त आराजियात के वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि वादिया द्वारा वादग्रस्त आराजियात में अपने सम्पूर्ण हक हिस्से का बेचान कर दिया गया है और अब वह वादग्रस्त आराजियात में खातेदार नहीं है। ऐसे में प्रकरण में वादिया मोहनी पुत्री भंवरलाल विभाजन के इस वाद को न्यायालय में चलाने हेतु अधिकृत नहीं है। अतः वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।